

हिमाचल प्रदेश सरकार
सहकारिता विभाग

संख्या: कोप0ई0(5) 1/2000 वाल्यूम-1 दिनांक: शिमला-171002

२५ फरवरी, 2021

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाईटी, अधिनियम, 1968 (1969 का 3) की धारा 2 की उप धारा (1-अ) के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न 16 सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाईटी(वर्ग-1 राजपत्रित) को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1968 की धारा 87(1) में निर्दिष्ट आदेशों का निष्पादित करने और हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सहकारी सोसाईटियों द्वारा वितरित ऋणों के अतिशोध्य (ओवर ड्यूज) को, भू-राजस्व के बकाया के रूप में, बसूल करने के आदेशों को निष्पादित करने के लिये तुरन्त प्रभाव से क्लैक्टर के रूप में नियुक्त करते हैं:-

1. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, बिलासपुर
2. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, चम्बा
3. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, देहरा
4. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, धर्मशाला
5. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, हमीरपुर
6. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, जुब्बल
7. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, लाहौल एवं स्पिति
8. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, किन्नौर
9. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, कुल्लू
10. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, मण्डी
11. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, नाहन
12. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, नूरपुर
13. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, पालमपुर
14. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला
15. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, सोलन
16. सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, ऊना


आदेश द्वारा

(अक्षय सूद)
सचिव (सहकारिता),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन पत्र संख्या: कोप0 ई0(5)-1/2000 दिनांक: शिमला-2 25 फरवरी, 2021

प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002, हि0 प्र0।
2. निजी एवं विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002।
3. निजी सचिव, सहकारिता मंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002।
4. वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।
5. पंजीयक, सहकारी सभाएं, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को उनके पत्र संख्या 10-8/71-कोप(लॉ)-IV, दिनांक 23 जनवरी, 2021।
6. सभी उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, हिमाचल प्रदेश।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी राजभाषा खण्ड (III), हिमाचल प्रदेश, सचिवालय, शिमला-171002।
9. संरक्षण नस्ति।


संयुक्त सचिव (सहकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार।